

प्रेषक,

आर०के० महाजन,  
प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं ह०)  
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दि०-.....16.../02/2017

विषय:-

स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग को पुनर्गठित करते हुए मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदों को चिन्हित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रशिक्षक के पूर्व से सृजित कुल 805 पदों को सरकार द्वारा निम्नवत् पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है:-

क्रमांक	कोटि	पदनाम	पदों की संख्या
01.	मूल कोटि	स्वास्थ्य प्रशिक्षक	554
02.	प्रथम प्रोन्नति	वरीय स्वास्थ्य प्रशिक्षक	231
03.	द्वितीय प्रोन्नति	स्वास्थ्य प्रशिक्षक पर्यवेक्षक	15
04.	तृतीय प्रोन्नति	वरीय स्वास्थ्य प्रशिक्षक पर्यवेक्षक	05

2. दिनांक-05.05.2015 को राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में मद संख्या-17 के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत है। विभागीय ज्ञापांक-803(10) दिनांक-14.10.2015 के द्वारा उक्त संबंध में आपको भी सूचित किया जा चुका है।

3. किन्तु विभिन्न सोपानों में वर्णित उपरोक्त पद उपयोगिता के आधार पर किन संस्थानों में चिन्हित किया जाय इसका निर्णय अब तक नहीं हो पाया था। सम्यक विचारोपरांत कंडिका-01 में वर्णित पदों को राज्य के विभिन्न संस्थानों/कार्यालयों में निम्नवत् कर्णांकित करने का निर्णय लिया गया है :-

क्र०सं०	पद का स्तर	कर्णांकित पदों की संख्या	पे बैंड/ग्रेड पे	संस्थान का नाम जहाँ के लिये पद स्वीकृत/ कर्णांकित किये जाते हैं।	
				संस्थान	संख्या
1	मूल कोटि	स्वास्थ्य प्रशिक्षक	पी.बी.-2/ रू० 4200/-	राज्य के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 1-1 पद और 20 पद निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ में।	534+20=554
2	प्रथम प्रोन्नति सोपान	वरीय स्वास्थ्य प्रशिक्षक	पी.बी.-2/ रू० 4600/- और तीन वर्ष के उपरांत रू० 4800/-	पी०एम०सी०एच०, पटना	10
				एन०एम०सी०एच०, पटना	10,

			एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर	10,
			जे0एल0एन0एम0सी0एच0, भागलपुर	10,
			ए0एन0एम0एम0सी0एच0, गया	10,
			डी0एम0सी0एच0, दरभंगा	10
			राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बेतिया	3
			बद्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा	4
			पटना डेंटल कॉलेज अस्पताल	2
			अतिविशिष्ट अस्पताल राजवंशी नगर	2
			अतिविशिष्ट अस्पताल राजेन्द्र नगर	2
			अतिविशिष्ट अस्पताल न्यू गार्डिनर रोड	2
			प्रत्येक क्षेत्रीय अपर निदेशक कार्यालय में 1-1 पद कुल-	9
			सिविल सर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर	5
			सिविल सर्जन कार्यालय, वैशाली	5
			सिविल सर्जन कार्यालय, सीतामढ़ी	5
			सिविल सर्जन कार्यालय, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)	7
			सिविल सर्जन कार्यालय, पश्चिमी चंपारण (बेतिया)	5
			सिविल सर्जन कार्यालय, शिवहर	2
			सिविल सर्जन कार्यालय, सारण	6
			सिविल सर्जन कार्यालय, सीवान	6
			सिविल सर्जन कार्यालय, गोपालगंज	3
			सिविल सर्जन कार्यालय, सहरसा	3
			सिविल सर्जन कार्यालय, मधेपुरा	2
			सिविल सर्जन कार्यालय, सुपौल	3

217 (4)  
16.02.2017


				सिविल सर्जन कार्यालय, पूर्णिया	4
				सिविल सर्जन कार्यालय, कटिहार	4
				सिविल सर्जन कार्यालय, अररिया	2
				सिविल सर्जन कार्यालय, किशनगंज	2
				सिविल सर्जन कार्यालय, मुंगेर	2
				सिविल सर्जन कार्यालय, शेखपुरा	2
				सिविल सर्जन कार्यालय, लखीसराय	2
				सिविल सर्जन कार्यालय, बेगुसराय	5
				सिविल सर्जन कार्यालय, खगड़िया	2
				सिविल सर्जन कार्यालय, जमुई	3
				सिविल सर्जन कार्यालय, भागलपुर	4
				सिविल सर्जन कार्यालय, बांका	3
				सिविल सर्जन कार्यालय, दरभंगा	5
				सिविल सर्जन कार्यालय, मधुबनी	5
				सिविल सर्जन कार्यालय, समस्तीपुर	5
				सिविल सर्जन कार्यालय, पटना	8
				सिविल सर्जन कार्यालय, नालंदा	5
				सिविल सर्जन कार्यालय, रोहतास	5
				सिविल सर्जन कार्यालय, भोजपुर	3
				सिविल सर्जन कार्यालय, कैमूर	3
				सिविल सर्जन कार्यालय, बक्सर	3
				सिविल सर्जन कार्यालय, गया	7
				सिविल सर्जन कार्यालय, जहानाबाद	3
				सिविल सर्जन कार्यालय, औरंगाबाद	3
				सिविल सर्जन कार्यालय, नवादा	3
				सिविल सर्जन कार्यालय, अरवल	2

217 (4)  
16.02.2017

3	द्वितीय प्रोन्नति सोपान	स्वास्थ्य प्रशिक्षक पर्यवेक्षक	पी.बी.-2/ गेड पे-5400/-	निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार	12
				पी0एम0सी0एच0, पटना	01
				एन0एम0सी0एच0, पटना	01
				डी0एम0सी0एच0, दरभंगा	01
4	तृतीय प्रोन्नति सोपान	वरीय स्वास्थ्य प्रशिक्षक पर्यवेक्षक	पी.बी.-3/ गेड पे 6600/-	निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार।	5

1. इस पर होने वाले कुल भारित व्यय का वहन उसी मुख्य शीघ्र 2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य उप मु0 शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें ऐलोपैथी उपशीर्ष-103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लघु शीर्ष-0001- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड N-2210031030001 से विकलनीय होगा जिस मुख्य शीर्ष, उपमुख्य शीर्ष, उपशीर्ष एवं लघुशीर्ष एवं विपत्र कोड से स्वास्थ्य प्रशिक्षक (मूल कोटि) के पदधारकों के वेतनादि का भुगतान होता रहा है। जिस संस्थान में पूर्व से स्वास्थ्य प्रशिक्षक का पद कर्णांकित नहीं है तथा इस आदेश के द्वारा पद स्वीकृत/कर्णांकित किये गये हैं उस संस्थान/निदेशालय में इस संवर्ग के पदधारकों का पदस्थापन होने की तिथि से उस पर होने वाले व्यय का वहन मुख्य शीर्ष 2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य उप मु0 शीर्ष-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें ऐलोपैथी उपशीर्ष-103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लघु शीर्ष-0001- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड N-2210031030001 से विकलनीय होंगे।

विश्वासभाजन



(आर0के0 महाजन)

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-4/विधि-8-35/2010 - 217(4) /पटना, दिनांक- 16.02.2017  
प्रतिलिपि-वित्त विभाग(बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला अधिकारी/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें/सभी निदेशक अतिविशिष्ट अस्पताल/सभी सिविल सर्जन/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07 एवं 10 स्वा0 विभाग/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



प्रधान सचिव

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।